

दिनांक-21.09.2016 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, कोलकाता द्वारा O.A. No.- 17/2014/PB/10/EZ with M.A No.-308/2015/EZ, Sanjay Sinha Vs. State of Bihar & Others में दिनांक-16.09.2016 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में आयोजित बैठक की कार्यवाही -

(उपस्थिति संलग्न)

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा माननीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक-16.09.2016 को पारित न्यायादेश से बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को अवगत कराया गया। इस क्रम में Hon'ble National Green Tribunal (NGT), Kolkata के आदेश, दिनांक-16.09.2016, in O.A. No.17/2014/PB/10/EZ Sanjay Sinha Vs. State of Bihar & Others की कंडिका-2 में उद्धृत अंश "In the admitted position that the Patna Master Plan has not yet been approved and that approved Master Plan is a mandatory requirement under the MoEF Notification referred to earlier in respect of constructions with built up area of 20,000 sq.mtrs of more, any such construction carried out in the absence of such a Master Plan or in pursuance of any permission granted by any authority would be illegal." पर विचारण हेतु पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया गया।

- (2). National Green Tribunal (NGT), Kolkata द्वारा पारित न्यायादेश के अंश "We, therefore, direct that, further to our orders dated 30.07.20014 and 22.09.2014, all constructions in the city of Patna and in the areas where the city is proposed to be expanded requiring EC for project 8(a) under Schedule I of EIA Notification, 2006, shall be stopped forthwith until the Master Plan is finally approved." के आलोक में जब तक पटना मास्टर प्लान अंतिम रूप से स्वीकृत नहीं हो जाता है तब तक इसके क्षेत्र के अन्तर्गत 20000 वर्ग मीटर एवं इससे ज्यादा Built-up Area वाले भवनों के निर्माण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया। साथ ही विधि विभाग के मंतव्य से अग्रेतर कारवाई करने का निदेश नगर विकास एवं आवास विभाग को दिया गया।
- (3). NGT के आदेश में वर्णित में EIA Notification, 2006 के Appendix-II की कंडिका-1.1 में प्रावधानित "Will the existing land use get significantly altered from the project that is not consistent with the surroundings / (Proposed land use must conform to the approved Master Plan/ Development Plan of the area. Change of land use if any and the statutory approval from the competent authority be submitted.....) पर विचारण के क्रम में प्रधान अपर महाधिवक्ता द्वारा यह मंतव्य व्यक्त किया गया कि इस तथ्य की

समीक्षा हो जानी चाहिए कि Appendix-II की कंडिका-1.1 में प्रयुक्त Approved Master Plan/Development Plan का आशय उन मामलों से हो सकता है, जहाँ प्रस्तावित निर्माण प्रचलित/Existing Land use से इतर हो या अन्य मामलों के लिए भी यह लागू होगा।

- (4). राज्य में वर्तमान में किसी भी शहर अथवा क्षेत्र के लिए विकास योजना/मास्टर प्लान स्वीकृत नहीं होने के कारण उपर्युक्त वर्णित कंडिका-1.1 के प्रावधानों के आलोक में राज्य में निर्गत Environmental Clearance की वैधानिकता पर विचार विमर्श किया गया।
- (5). बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-2(91) में परिभाषित विकास योजना की परिभाषा में संशोधन संबंधी न्यायादेश "In our considered opinion, therefore, the above provision which categorically brings within its fold even "the draft Plan/Master Plan" to define "Development Plan/Master Plan" under the Bihar Municipal Act, 2007, is inconsistent with Appendix-II of MOEF Notification of 2006. We, therefore, would expect the State Govt. to consider as to whether the provision should be amended or not." पर विमर्श के क्रम में EIA Notification, 2006 के Appendix-II की कंडिका-1.1 में प्रावधानित Approved Master Plan/ Development Plan तथा इसके आलोक में राज्य में प्रभावी बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की कंडिका-2(91) में न्यायादेश के आलोक में वांछित संशोधन हेतु संबंधित नियमों, अधिनियमों एवं अन्य मामलों में पारित न्यायादेशों के आलोक में समीक्षा किये जाने का निर्णय लिया गया।
- (6). प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि EIA Notification, 2006 की अनिवार्यता के अनुरूप Environmental Clearance के उपरान्त सरकारी भवनों का निर्माण किया जाता है। NGT, Kolkata द्वारा पारित न्यायादेश से प्रभावित पटना में सरकारी भवनों का निर्माण प्रचलित/Existing Landuse के आधार पर Environmental Clearance के उपरान्त किया गया है। इन भवनों का अधिकांश कार्य सम्पादित हो चुका है, जिस पर रोक लगाने संबंधी न्यायादेश पर पुनर्विचार किया जाना उचित होगा। इस संबंध में विधि विभाग की राय से कारवाई का निदेश भवन निर्माण विभाग को दिया गया।

- (7). नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना सं०-618, दिनांक-15.09.2016 द्वारा गठित Patna Metropolitan Planning Committee में दक्ष लोगों को शामिल करते हुए इसके पुनर्गठन संबंधी न्यायादेश " that the Committee constituted by Notification No.--618, UD&HD, dated-15.09.2016 shall be reconstituted by inducting competent persons as its members. We shall expect action to be taken on this by the State of Bihar within a period of six weeks. An affidavit of compliance shall be filed on or before the next date with advance copies on the other side." पर विचार किया गया। प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि उक्त समिति का गठन बिहार महानगर योजना समिति नियमावली, 2008 के आलोक में किया गया है, जिसमें जनप्रतिनिधियों का अनुपात कम से कम दो तिहाई रखे जाने संबंधी संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। इन समितियों में जनप्रतिनिधियों के अतिरिक्त तकनीकी सदस्यों को मनोनीत किया गया है, जिसमें भारत सरकार के प्रतिनिधि एवं विशेषज्ञ शामिल हैं।

उनके द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-243-ZE (Committee for Metropolitan Planning) की कंडिका-2(b) में प्रावधानित "the manner in which the seats in such Committees shall be filled : Provided that not less than two-thirds of the members of such Committee shall be elected by, and from amongst, the elected members of the Municipalities and Chairpersons of the Panchayats in the Metropolitan area in proportion to the ration between the population of the Municipalities and of the Panchayats in that area." को उद्धृत करते हुए बताया गया कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप अन्य राज्यों यथा-तमिलनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात में भी जनप्रतिनिधियों की संख्या के अनुपात का अनुपालन किया गया है।

बिहार महानगर योजना समिति नियमावली-2008 के नियम-9 (Functions and Powers of the Metropolitan Planning Committee) की कंडिका-(D) में प्रावधानित Consult such institutions and organizations as the Chamber of Commerce and Industry, Non-Governmental Organizations including professional bodies as Institute of Town Planners, India in the formulation of metropolitan level plans as the government may determine in this behalf; पर विचारोपरान्त इसके आलोक में पटना मास्टर प्लान से

संबंधित अग्रेत्तर कारवाई करने का निदेश नगर विकास एवं आवास विभाग को दिया गया।

पटना महानगर आयोजना समिति (Patna Metropolitan Planning Committee) के पुर्नगठन संबंधी न्यायादेश के आलोक में संवैधानिक प्रावधानों, राज्य में प्रभावी अधिनियमों, नियमों, अन्य राज्यों में किये गए प्रावधानों के अनुरूप विधि विभाग की राय से प्रस्ताव उपस्थापित करने का निदेश नगर विकास एवं आवास विभाग को दिया गया।

- (8). राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण से संबंधित मामलों में सरकार का पक्ष समुचित रूप से रखने के लिए विषय के जानकार, दक्ष एवं अनुभवी अधिवक्ता की सेवा विधि विभाग, अपर महाधिवक्ता एवं पर्यावरण एवं वन विभाग के सहयोग से लिये जाने का निर्णय लिया गया।


धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुआ।

ह0/-

मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक - 11/न०वि०/ट्रिब्यु -07/15 खण्ड.....640..... दिनांक-22-9-
प्रतिलिपि - श्री ललित किशोर, प्रधान अपर महाधिवक्ता / प्रधान सचिव, भवन निर्माण
विभाग, बिहार / प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग / सचिव, पंचायती राज
विभाग / सचिव, विधि विभाग / नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


22/9/2016

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।